

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/21313/2011-12


दिनांक : 14.03.2011

विज्ञप्ति

गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय शुरू करने की इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2011-2012 के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं :-

क्रम सं०	विवरण	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रस्तुत करना।	31 मार्च 2011
2	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवाकर अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना।	25 अप्रैल, 2011
3	इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।	30 अप्रैल, 2011

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय एवं विभाग की वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।


(भास्कर ए० सावन्त)

आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/21313/2011-12

दिनांक : 14-03-2011

:: विज्ञापित ::

गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय शुरू करने की इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2011-12 के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाते हैं :-

1. मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के परिशिष्ट-3 में यथा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को विहित प्रारूप में (परिशिष्ट-1) आवेदन करना होगा।
2. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम, 1993 के परिशिष्ट-2 यथा निर्दिष्ट निर्बंधों तथा शर्तों की पूर्ति संस्था द्वारा की जानी अनिवार्य होगी जिसका सत्यापन पैनल निरीक्षण दल द्वारा किया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय-समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं देने बाबत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को निर्धारित प्रारूप में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
4. क्रमोन्नति/मान्यता की इच्छुक उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक एवं विद्यमान उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय की क्रमोन्नति/मान्यता हेतु निजी शिक्षण संस्थाओं को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की राशि जमा करानी होगी :-

क्र०स०	स्तर	मान्यता शुल्क की राशि	आरक्षित कोष की राशि
1	माध्यमिक	7000/- रु.	50000/- रु.
2	उच्च माध्यमिक	10000/- रु. प्रति संकाय तीन विषयों के अतिरिक्त प्रति विषय के लिए 3000/- रु. अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी।	80000/- रु. (प्रति अतिरिक्त संकाय के लिए 30000/- अतिरिक्त आरक्षित कोष की राशि जमा करानी होगी।)

संस्थाओं को मान्यता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के पद नाम से बनाना होगा, आरक्षित कोष की राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, राजस्थान, जयपुर के पद नाम से बनवाकर संस्था को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक) को प्रस्तुत करना होगा।

5. उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक एवं विद्यमान उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय की क्रमोन्नति/मान्यता की इच्छुक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को क्रम संख्या 1 से 4 में निर्दिष्ट शर्तों की पालना कर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अण्डरटेकिंग, मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की निर्धारित राशि सक्षम प्राधिकारी, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2011 होगी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय द्वारा उन्ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर क्रमोन्नति/अतिरिक्त विषय/संकाय शुरू करने के लिए अनुशंषा की जायेगी जो पैनल निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने तथा संस्था द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों, प्रमाण-पत्रों आदि का मूल से मिलान कर सत्यापन करवाने के बाद स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की सन्तुष्टि के बाद स्वीकृति योग्य पाये जायेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा विद्यालयों का पैनल निरीक्षण करवाकर अपनी स्पष्ट अनुशंषा तथा आवेदनकर्ता से गैर सरकारी शिक्षण संस्था तत्विषय सभी शर्तों को पूरी करती है, इस आशय के प्रमाण पत्र सहित अनुमोदन हेतु आयुक्तालय को प्रस्ताव दिनांक 25.04.2011 तक प्रस्तुत किए जायेंगे।

(2)

7. गैर सरकारी शिक्षण संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् संस्था को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, एवं विद्यमान उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय की क्रमोन्नति/मान्यता के आदेश आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदनोपरान्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा दिनांक 30.04.2011 तक निश्चित रूप से जारी कर दिए जायेंगे।
8. राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था या संस्थाओं के किसी भी वर्ग को उक्त प्रावधानों के किन्हीं भी उपबन्धों से छूट दे सकेंगी या यह निर्देश दे सकेंगी कि उक्त प्रावधानों के ऐसे उपबन्ध, ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग पर ऐसे उपान्तरणों और शर्तों सहित लागू हों, जैसा कि आदेशों में विनिर्दिष्ट किया जाये।
9. उपबन्धों के निर्वचन या उनके लागू होने के संबंध में कोई सन्देह उत्पन्न हो, वहां मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित किए जाने तथा उसके परिचालन का प्रशिक्षण स्टाफ को होने का विधिवत प्रमाणित शपथ-पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पर, विद्यालय भवन में मोबाईल टॉवर नहीं होने का तथा विद्यालय परिसर से हाई टेन्शन विद्युत तार नहीं गुजरने का स्टाम्प पेपर में उल्लेख किया हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11. सत्र 2010-11 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा नेशनल केरीकुलम फ्रेमवर्क आधारित पाठ्यक्रम लागू करने से बोर्ड द्वारा संचालित संकाय एवं विषय में ही मान्यता दी जायेगी।
12. मूक बधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोनयन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(भास्कर ए० सावन्त)

आयुक्त

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 14-03-2011

क्रमांक : शिविरा-मा./माध्य/अ-4/21313/2011-12

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
6. ए०सी०पी०, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली

(भास्कर ए० सावन्त)

आयुक्त

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

शपथ-पत्र

(10 रुपये के नोन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र)

मनके पुत्र श्री जाति

आयु निवासी पूर्ण पता
अध्यक्ष/सचिव..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/ करती हूँ कि :-

1. यह कि हमारी संस्था का नाम पता
जिसके द्वारा समाज में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के भाव से (विद्यालय का नाम) का संचालन किया जा रहा है।
2. यह कि हम उपरोक्त बिन्दु संख्या एक में वर्णित विद्यालय को माध्यमिक/उमावि स्तर पर क्रमोन्नत करवाने चाहते हैं/विद्यालय में अतिरिक्त विषय/संकाय स्वीकृत करवाना चाहते हैं।
3. यह कि हमने प्राथीत विद्यालय क्रमोन्नत/अतिरिक्त विषय/संकाय के संबंध में समस्त नियमों शर्तों एवं उपाबन्धों का राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 तथा राजस्थान सरकार/विभाग द्वारा जारी निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है, जिन्हे हम पूरा करते हैं।
4. यह कि हम बिन्दु संख्या 3 में इंगित नियमों/शर्तों उपाबन्धों की पालना करते हुए समय-समय पर राज्य सरकार/विभाग/प्रशासन से प्राप्त होने वाले आदेशों का यथा समय पूर्ण पालना करेंगे। हम राज्य सरकार/विभाग/प्रशासन के द्वारा सौंपे गये कार्यों को पूर्ण तत्परता से करते हुए आज्ञा पालन करेंगे।
5. यह कि हम जिला स्तरीय समान परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार विद्यालय की भागीदारी एवं वांछित सहयोग करेंगे।
6. यह कि हमारे द्वारा किसी प्रकार से राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर हमारी मान्यता निरस्त कर संबंधित नियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
7. यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर लिया है तथा इसके परिचालन हेतु विद्यालय में प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।
8. यह कि विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार मोबाईल टॉवर नहीं लगा हुआ है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।
9. यह कि विद्यालय परिसर के ऊपर से हाई टेन्शन विद्युत लाईन नहीं गुजरती है। उपरोक्त पैरा 1 से 9 तक हमने अपनी निजी जानकारी के अनुसार सही-सही बयान किये हैं। कोई तथ्य घटाया-बढ़ाया नहीं है। ईश्वर हमारी मदद करें।

शपथ गृहिता

परिशिष्ट-1

गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता के लिए आवेदन

[नियम 34 (2)]

सेवा में,

.....

मैं/हम हमारी संस्था (संस्था का नाम) के (स्तर) को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं। संस्था संबंधी विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	संस्था सम्बन्धी विवरण	संस्था द्वारा कथन	निरीक्षण दल का अभिकथन
1	2	3	4

1. संस्था का नाम
2. कार्यालय का स्थान एवं पूर्ण पता
3. संस्था का प्रकार एवं स्तर
4. संस्था के स्थापन एवं संचालन की तारीख
5. संस्था के सचिव का नाम, पता, टेलीफोन संख्या (यदि हो)
6. संस्था का :-
 - (1) विधान
 - (2) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम और पते
 - (3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न की जाये)
 - (4) संस्था का प्रधान/कर्मचारी यदि प्रबन्ध समिति का सदस्य हो तो उसका नाम, पद एवं समिति में धारित पद
7.
 - (1) वांछित मान्यता का स्तर, प्रकार सत्र एवं विषय
 - (2) संस्था द्वारा पूर्व में मान्यता हेतु किये गये आवेदन का वर्ष एवं स्तर
8. संस्था का शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य/इसकी पूर्ति हेतु सचिव का कथन
9. उपलब्ध भवन का पूर्ण विवरण :-
 - (1) कक्षा-कक्ष/कार्यालय/प्याऊ/शौचालय आदि
 (ब्लू प्रिन्ट की प्रति भी साथ में प्रस्तुत की जाये,
 जिसमें उक्त सभी निर्मित स्थल स्पष्ट रूप से अंकित हों)
 - (2) संस्था का स्वयं का भवन होने पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र दें
 - (3) भवन किराये का होने पर किराया-विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जाये

1	2	3	4
10.	खेलकूद हेतु भूमि का विवरण :-		
	(1)	संस्था की स्वयं की भूमि होने पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
	(2)	किराये की भूमि होने पर किराया विलेख की सत्यापित प्रति संलग्न करें।	
11.	अन्य भूमि का विवरण :-		
12.	जल/विद्युत/सफाई की व्यवस्था का पूर्ण विवरण :-		
13.	वित्तीय स्थिति का विवरण :-		
	(1)	स्थायी जमा खाते में जमा राशि, बैंक का नाम, रसीद/खाता संख्या (रसीद की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें)	
	(2)	नियमित आय का आंकलन एवं इसके स्थायी स्रोत।	
	(3)	आय के स्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने का स्पष्ट प्रमाण	
	(4)	संस्था के गत तीन वर्षों के आय-व्यय एवं तुलन-पत्र (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित)	
14.	संस्था की सम्पत्तियों का विवरण, मूल्य सहित		
15.	कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पद, आय, जन्म तिथि, योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव, नियुक्ति तिथि, वेतनमान, प्रथम जनवरी को मूल वेतन एवं भत्ते (भत्तों का पूर्ण विवरण दें)		
16.	भविष्य निधि के रूप में कर्मचारियों से काटे जाने वाले एवं संस्था द्वारा देय अंशदान का विवरण		
17.	(1) संस्था के पास उपलब्ध फर्नीचर एवं अध्ययन/अध्यापन सामग्री की सूची (नाम, तादाद एवं मूल्य सहित)		
	(2) विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे दैनिक/साप्ताहिक/सामयिक पत्र/पत्रिकाएं।		
18.	बालक/बालिकाओं की कक्षावार/वर्गवार संख्या एवं औसत उपस्थिति का विवरण।		
19.	(1) बालक/बालिकाओं से वसूल की जा रही फीस (कक्षावार, किस मद में किस दर से कितनी फीस प्राप्त की जा रही है अथवा प्रस्तावित है) का विवरण।		
	(2) संस्था के कितने बालक/बालिकाओं की फीस में रियायत दी गयी है, (कक्षावार/वर्गवार राशि एवं दर का विवरण)।		
	(3) क्या संस्था में सभी जातियों तथा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए फीस सुविधा है, तथा किसी भी भेदभाव के बिना प्रवेश खुला रहता है।		

1	2	3	4
	(4)	क्या धार्मिक एवं जाति विशेषीय शिक्षा में विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों का सम्मिलित होना अनिवार्य है।	
20.	(1)	संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रम का विवरण।	
	(2)	क्या संस्था राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है।	
21.	(1)	संस्था आवासीय है अथवा गैर आवासीय।	
	(2)	क्या संस्था में छात्रावास की व्यवस्था है? यदि हां तो उपलब्ध भवन, कर्मचारी एवं व्यवस्था सम्बन्धी विवरण।	
	(3)	वसूल की जा रही फीस का विवरण।	
22.		कार्य क्षेत्र का विवरण :-	
	(1)	विद्यालय/संस्था के आस-पास समान स्तर की संचालित अन्य संस्थाओं के नाम, पते एवं विद्यालय से दूरी।	
	(2)	आस-पास के वातावरण का प्रदूषण रहित होने का विवरण एवं संस्था के अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र।	
23.	(1)	संस्था का साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि तथा इस सम्बन्ध में सचिव का शपथ-पत्र	
	(2)	क्या शैक्षिक वातावरण में व्यवधान पैदा करने वाले किसी सार्वजनिक वाद, विवाद एवं प्रवृत्ति में संस्था के कर्मचारी/प्रबन्ध आदि भाग लेते हैं?	
24.		विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यकलापों का विवरण।	
25.		विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरंजन आदि की व्यवस्था।	
26.		संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख।	

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण सही हैं। मैंने/हमने मान्यता सम्बन्धी नियमों/शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं/हम प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि यदि संस्था को मान्यता प्रदान कर दी जायेगी तो मैं/हम मान्यता सम्बन्धी शर्तों से और तत्सम्बन्धी समस्त वर्तमान और समय-समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित नियमों से आबद्ध रहूँगा/रहेंगे तथा समय-समय पर प्रचलित शिक्षा विभाग के निर्देशों का अनुपालन करता रहूँगा/करते रहेंगे।

हस्ताक्षर सचिव

.....
.....

(संस्था का नाम)